एस. सी. शर्मा बनाम भारत और अन्य का संघ

693

(कुलदिप सिंह, जे.)

राजीव शर्मा और कुलदिप सिंह , जे. जे.

एस सी शर्मा -याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य प्रतिवादीगण 2019 का सी डब्लू पी No. 6582

19 मार्च, 2019

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972-आर. एल. 41-मुआवजा भत्ता-अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है-यदि मामला विशेष विचार के योग्य है तो प्राधिकारी स्वीकृत करने के लिए अधिकारी-दुराचार के कारण सेवा की बर्खास्तगी के कारण पेंशन लाभों से इनकार-पिछली सेवा समाप्त-गलत व्यवहार बेवफाई और बेईमानी को दर्शाता है-इसलिए अक्षम्य-याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि, आवेदक-याचिकाकर्ता पर लागू होने वाले उक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि यदि किसी कर्मचारी को बर्खास्त या सेवा से हटा दिया जाता है, यदि मामला विशेष विचार के योग्य है, तो प्राधिकरण पेंशन या उपदान या दोनों के दो तिहाई से अधिक अनुकंपा भत्ता स्वीकृत नहीं कर सकता है जो उसे स्वीकार्य होता यदि वह क्षतिपूर्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त होता।

(पैरा 7)

ने आगे कहा कि, सेवा से बर्खास्तगी के कारण, उनकी पिछली सेवा जब्त कर ली गई है और उन्हें पेंशन लाभ नहीं दिए गए थे। अधिकारियों का मानना है कि मुआवजा भत्ता देने के लिए गरीबी आवश्यक शर्त नहीं है। अधिकारियों ने उसके गलत आचरण पर विचार किया है। आवेदक-याचिकाकर्ता विद्यालय में प्राचार्य थे। अधिकारियों का यह भी विचार है कि आवेदक-याचिकाकर्ता का दुर्व्यवहार गंभीर प्रकृति का है जो उसके कर्तव्य और संगठन के प्रति बेवफाई को दर्शाता है और इसलिए, अक्षम्य है। इसने यह भी माना कि यह अपने कर्तव्यों के प्रति बेईमानी के समान है।

(पैरा 10)

ने आगे अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण या यह न्यायालय अधिकारियों के निर्णय पर नहीं बैठ सकता है। नियम 41

(ऊपर) के तहत अनुकंपा भत्ता का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यह अधिकारियों को विचार करने के लिए है। अधिकारियों ने इस पर विचार किया है और उन्हें मुआवजा भत्ता नहीं देने का फैसला किया है। इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 9.10.2018 (अनुलग्नक-P-4) के विवादित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है, जिसमें हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया है। नतीजतन, हम करते हैं

वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई जाती है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

कुलदिप सिंह, जे।

(1) याचिकाकर्ता-आवेदक ने दिनांक 9.10.2018 (अनुलग्नक-पी-4) के विवादित आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 41 (इसके बाद 'पेंशन नियम, 1972' के रूप में संदर्भित) के तहत अनुकंपा भत्ता देने की उनकी प्रार्थना को प्रतिवादीगण द्वारा खारिज कर दिया गया है। आवेदक-याचिकाकर्ता अपनी पूरी सेवा के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की मांग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांकित 5.1.2017 (अनुलग्नक-A-2) और 20.11.2015 (अनुलग्नक-A-3) का पालन करने के लिए प्रतिवादीगण को उचित निर्देश भी चाहता है।

(2) निर्विवाद तथ्य यह है कि आवेदक-याचिकाकर्ता को 18.11.1986 पर केंद्रीय विद्यालय संगठन (इसके बाद 'KVS' के रूप में संदर्भित) में प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने डब्ल्यू. ई. एफ. <आई. डी. 10.03.1997 के बाद से अनधिकृत रूप से ड्यूटी से खुद को अनुपस्थित रखा और सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विदेश चले गए। चूंकि उन्होंने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित 12.7.1997and 1.2.1999 दिनांकित सार्वजनिक नोटिसों के बावजूद जवाब नहीं दिया और ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहे, इसलिए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, 5.5.1999 दिनांकित आदेश के अनुसार आवेदक याचिकाकर्ता द्वारा OA No.124/HR/200 में न्यायाधिकरण के समक्ष आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने दिनांक 27.11.2002 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादीगण को निर्देश दिया कि वे उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में

बहाल करें और केवीएस को आरोप पत्र की सेवा के चरण से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी।उक्त आदेश के खिलाफ रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 21.2.2003 पर बरकरार रखा गया था। नतीजतन, आवेदक-याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया, दिनांक 13.12.2004 के आदेश के अनुसार। केवीएस ने सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना स्टेशन छोड़ने के साथ-साथ डब्ल्यू. ई. एफ. 10.3.1997 से 19.5.1997 तक ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में 9.3.2005 पर आरोप पत्र जारी करके विभागीय कार्यवाही शुरू की।निलंबन की अवधि के दौरान अपने नए मुख्यालय में रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए भी उन पर आरोप पत्र दायर किया गया था।

(3) जाँच के बाद आरोप साबित हुए और बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया।10.3.1997 से 27.8.2005 तक उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति की पूरी अवधि को बिना मृत्यु के माना गया।

उक्त आदेश के खिलाफ अपील एस. सी. शर्मा

बनाम

भारत संघ और अन्य का संघ थी।

695

(कुलदिप सिंह, जे.)

अस्वीकार कर दिया।आवेदक-याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसने 14.12.2010 पर उनके आवेदन को भी खारिज कर दिया।आदेशों को उच्च न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और 2.1.2013 पर पर्ची को खारिज करने के बाद यह अंतिम हो गया है।आवेदक-याचिकाकर्ता ने नियम, 1972 के तहत अनुकंपा के आधार पर पेंशन देने के लिए आवेदन को 3.3.2014 दायर किया, जिसे दिनांक 12.3.2014 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।आवेदक-याचिकाकर्ता ने अनुकंपा भत्ता देने के लिए ओ. ए. सं. 60/740/2014 दायर किया, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 27.5.2015 और अंतिम आदेश दिनांकित 20.11.2015 पारित किया गया था, जिसमें प्रतिवादीगण को आवेदक-याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने और एक तर्कपूर्ण बोलने का आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।उक्त आदेश के अनुपालन में, दिनांक 26.11.2015 का विवादित आदेश पारित किया गया था, जिसे दिनांक 5.4.2016 के पत्र के माध्यम से आवेदक-याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था।आवेदक-याचिकाकर्ता ने फिर से न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसने 5.1.2017 पर उक्त आदेश को फिर से रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिवादीगण को दिनांक 20.11.2015 के आदेश के आलोक में दिनांक 30.01.2017 के माध्यम से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नए आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।

(4) आवेदक-याचिकाकर्ता के अनुसार, वह 69 वर्ष के हैं, एक मधुमेह रोगी हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं।उन्हें

अनाड़ी आधार पर 5.5.1999 पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उन्हें मुकदमा लड़ना पड़ा था।उनके पास अनाड़ी आधारों पर 5.5.1999 पर सराहनीय सेवाएं थीं और उन्हें मुकदमेबाजी लड़नी पड़ी।केवीएस में उनकी सराहनीय सेवाएं थीं, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था।इसलिए, वह पेंशन नियम, 1972 के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता पाने का हकदार है।

(5) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और मामले की फाइल को भी ध्यान से देखा है।

(6) पेंशन नियम, 1972 का नियम 41, जिसके तहत अनुकंपा भत्ता का दावा किया जाता है, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

'41.अनुकंपा भत्ता

(1) एक सरकारी कर्मचारी जिसे बर्खास्त या सेवा से हटा दिया जाता है, उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी जब्त कर ली जाएगी।

बशर्ते कि उसे बर्खास्त करने या सेवा से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यदि मामला विशेष विचार के योग्य है, तो एक अनुकंपा भत्ता स्वीकृत कर सकता है न कि क्षतिपूर्ति पेंशन।

(7) आवेदक-याचिकाकर्ता पर लागू होने वाले उक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि यदि किसी कर्मचारी को बर्खास्त या सेवा से हटा दिया जाता है, यदि मामला विशेष विचार के योग्य है, तो प्राधिकरण दो से अधिक अनुकंपा भत्ता स्वीकृत नहीं कर सकता है।

पेंशन या उपदान या दोनों का एक तिहाई जो उसके लिए स्वीकार्य होता यदि वह क्षतिपूर्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त होता।

(8) इस मामले में, आवेदक-याचिकाकर्ता को कर्तव्य से अनुपस्थित रहने और सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विदेश जाने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।आवेदक-याचिकाकर्ता का दावा है कि उसकी सराहनीय सेवा थी जिस पर विचार किया जाना चाहिए था।आवेदक-याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन नहीं किया गया है और वही आदेश पर्याप्त कारण बताए बिना पारित किए गए हैं।इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा पारित 20.11.2015 दिनांकित आदेश का पालन नहीं किया गया है।

(9) दिनांकित 30.1.2017 के विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अधिकारियों ने आवेदक-याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया।आवेदक-याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप कर्तव्य से अनुपस्थिति और सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विदेश के लिए रवाना होना था।उनकी आर्थिक स्थिति पर भी विचार किया गया।उक्त आदेश के कार्यात्मक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

'श्री एस. सी. शर्मा को अनुकंपा भत्ता देने के मामले की भी फिर से जांच की जाती है और कहा जाता है कि यह सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 41 के तहत भारत सरकार के निर्णय पैरा 1 में निर्धारित किया गया है, "जहां कदाचार के पाठ्यक्रम के साथ वैध निष्कर्ष है कि अधिकारी की सेवा बेईमान रही है, वहां शायद ही कभी अनुकंपा भत्ता देने के लिए कोई अच्छा मामला हो सकता है।अनुकंपा भत्ता देने के लिए गरीबी आवश्यक शर्त नहीं है।तत्काल मामले में, सेवा में रहते हुए एक जिम्मेदार अधिकारी और संस्थान के प्रमुख होने के नाते, श्री एस. सी. शर्मा ने केवीएस प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना विद्यालय और देश छोड़ दिया। उन्होंने इस संबंध में उन्हें भेजे गए किसी भी पत्र का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई।श्री एस. सी. शर्मा द्वारा किया गया दुराचार गंभीर प्रकृति का था जो उनके कर्तव्य और संगठन के प्रति बेवफाई को दर्शाता है और इसलिए, अक्षम्य था।उनकी ओर से ऐसा कार्य अपने कर्तव्यों के प्रति उनकी बेईमानी के समान था, जिसके बाद उन पर सेवा से बर्खास्तगी का एक बड़ा जुर्माना लगाया गया था।उनकी अपील और पुनरीक्षण याचिका पर संबंधित अधिकारियों द्वारा योग्यता से रहित होने के कारण विधिवत विचार किया गया और गुण दोष रहित होने के कारण खारिज कर दिया गया। ऐसे श्री एस. सी. शर्मा, पूर्व-प्राचार्य, अनुकंपा भत्ते के हकदार नहीं हैं।

भारत सरकार के उपरोक्त प्रावधान "।

(10) इस मामले में, सेवा से बर्खास्तगी के कारण, उनकी पिछली सेवा जब्त कर ली जाती है और उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है।अधिकारियों का मानना है कि अनुकंपा भत्ता देने के लिए गरीबी आवश्यक शर्त नहीं है।अधिकारियों ने उसके गलत आचरण पर विचार किया है।आवेदक-याचिकाकर्ता विद्यालय में प्राचार्य थे।अधिकारियों का यह भी विचार है कि आवेदक-याचिकाकर्ता का दुर्व्यवहार गंभीर प्रकृति का है जो उसके कर्तव्य और संगठन के प्रति बेवफाई को दर्शाता है और इसलिए, अक्षम्य है।इसने यह भी माना कि यह उनके कर्तव्यों के प्रति बेईमानी के समान है।

(11) हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण या यह न्यायालय अधिकारियों के फैसले पर नहीं बैठ सकता है।नियम 41 (ऊपर) के तहत अनुकंपा भत्ता का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।यह अधिकारियों को विचार करने के लिए है।अधिकारियों ने इस पर विचार किया है और उन्हें अनुकंपा भत्ता नहीं देने का फैसला किया है।इसलिए, न्यायाधिकरण

द्वारा पारित दिनांक 9.10.2018 (अनुलग्नक-P-4) के विवादित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है, जिसमें हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया है।नतीजतन, हम वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता सभी व्यवहारीक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

राधा कृष्ण

अनुवादक